न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : गुण्डा एक्ट/ 13/2012/भीलवाड़ा (2012/00056)

जगदीश गाडरी पुत्र श्री चतुर्भुज गाडरी निवासी माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा।

—**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

—— **प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (शहर) भीलवाड़ा दिनांक 11—01—2012 प्रकरण संख्या 6/2011 सरकार बनाम जगदीश गाडरी

————

उपस्थितः 1— श्री मदन लाल गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 18—07—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने एक परिवाद अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी वाहन चोरी की वारदात में सक्रिय रहता है इस कारण उसे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कानूनी आदेश प्रदान किया जावे। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी ने उपस्थित हेकर परिवाद में उल्लेखित कथनों से इन्कार किया तथा दर्ज परिवाद को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। अतरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने साक्ष्य लेने के उपरान्त आदेश दिनांक 11—1—2012 से अपीलार्थी को जिला

भीलवाड़ा से निष्कासित करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा ने इस बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि राजस्थान गुण्डा अधिनियम की धारा 2(ख)(1) में वर्णित उपधारा वाले व्यक्ति इस धारा में आते है तथा गुण्डा अधिनियम के तहत जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह पोषणीय ही नहीं था। अपीलार्थी के विरूद्ध जो भी प्रकरण दर्ज बताये गये, के क्रम में अपीलार्थी किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी को तथाकथित वाहन चोरी के प्रकरण में झूंठा फंसाया गया था तथा इसी आधार पर वर्तमान में प्रकरण संस्थित किया गया है। उक्त तथ्य को अनदेखा कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार यह किसी भी प्रकार से साबित नहीं हुआ है कि किस प्रकार अपीलार्थी के कारण आम जनता को कोई नुकसान या परेशानी हो रही है तथा पूरे क्षैत्र से ही बाहर चले जाने बाबत आदेश पारित करने की बाध्यता बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलार्थी कम आयु का व्यक्ति है तथा झूठे मुकदमें में फंसाने के कारण जैरकार है तथा अनजान जगह पर जाकर अकेले जीवनयापन करना अपीलार्थी के बस में नहीं है। अपीलार्थी गरीब है तथा परिवार के पास इतनी धन सम्पत्ति नहीं है कि लम्बे समय तक अपीलार्थी को भेजकर जीवनयापन बाबत कोई प्रबन्ध किया जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंकित तथ्यों एवं कथनों को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई किसी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया तथा सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है। अपीलार्थी की शोहरत अच्छी नहीं होने या लोगो का उससे डरने के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–01–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी आपराधिक पृष्ठभूमि क व्यक्ति है। थानाधिकारी माण्डल ने जिला मजिस्ट्रेट को अपीलार्थी के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत प्रस्तुत कर उल्लेखत किया है कि अपीलार्थी बचपन से ही शिक्षा से वंचित रहने तथा माता पिता के अच्छे संस्कार नही मिलने के कारण गलत संगत में पडकर

अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण जुंआ खेलना व लड़ाई झगडा व चोरिया करना प्रारम्भ कर दिया था। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या (1) 193/07 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ जुर्माना 100/– (2)125/08 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ जुर्माना 100/– (3)682/01 अन्तर्गत धारा 451–380 आईपीसी पुलिस थाना कोतवली (4) 244/02 अन्तर्गत धार 451–380 आईपीसी पुलिस थाना गंगापुर (5) 156/04 अन्तर्गत धारा 451–380 आईपीसी सजा 3 वर्ष (6)87/05 अन्तर्गत धारा 295–307–332–353 आईपीसी (7)167/06 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (8)4/07 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी (9) 201/05 अन्तर्गत धारा 457–380 आईपीसी (10) 57/02 अन्तर्गत धारा 341–323 आईपीसी (11) 9/02 अन्तर्गत धारा 147–341 आईपीसी व एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध होकर कुल 11 प्रकरणों में सजायाब हुआ है जो गुण्डा एक्ट की सही परिभाषा है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवड़ा द्वारा पारित निर्णय मेरिट पर किया गया है जो सही है। अपीलार्थी को तत्समय जिरह का मौका मिला अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करनी चाहिए थी। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जुर्म स्वीकार किया है। अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का होने एवं लोगों में दहशत रहने के कारण जिला भीलवाड़ा में स्वचछन्द विचरण करना व निवास करना उचित नहीं होने से अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही कर जिला भीलवाड़ा से 2 माह तक निष्कासन करने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने थानाधिकारी माण्डल के माध्यम से अपीलार्थी जगदीश गाडरी पुत्र श्री चतुर्भुज गाडरी निवासी माण्डल थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध एक इस्तगासा संख्या 02/2010 के आधार पर अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी असामाजिक तत्व व बदमाश प्रवृति के लागो के सम्पर्क में रहता है जो कभी भी अपराध दुष्प्रेरण कर सकता है। अपीलार्थी बदमाश प्रवृति का होने से मोहल्लेवासियों की जानमाल का खतरा होकर लोक शांति का खतरा होने के मध्यनजर कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या ((1) 193/07 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ जुर्माना 100/– (2)125/08 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ जुर्माना 100/– (3)682/01 अन्तर्गत धारा 451–380 आईपीसी पुलिस थाना कोतवली (4) 244/02 अन्तर्गत धार 451–380 आईपीसी पुलिस थाना गंगापुर (5) 156/04 अन्तर्गत धारा 451–380 आईपीसी सजा 3 वर्ष (6)87/05 अन्तर्गत धारा 295–307–332–353 आईपीसी (7)167/06 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ (8) 4/07 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी (9) 201/05 अन्तर्गत धारा 457–380 आईपीसी (10) 57/02 अन्तर्गत धारा 341–323 आईपीसी (11) 9/02 अन्तर्गत

धारा 147–341 आईपीसी व एससी/एसटी एक्ट में पंजीबद्ध होकर कुल 11 प्रकरणों में सजायाब हुआ है

राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या अवैध आर्थिक फायदे के लिए लागों के धमकी देने का अभ्यासी हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति का संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो। उक्त आधार पर अपीलार्थी आदतन जुआरी प्रतीत होता है। थानाधिकारी माण्डल की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को विभिन्नधाराओ में 11 मुकदमें दर्ज किये जाकर सजायाब होने के बावजूद अपनी आदत से बाज नहीं आने व आम सोहरत खराब होने से उसका जनता में भय व्याप्त है।

अपीलार्थी के उक्त कृत्य से भीलवाड़ा व आस–पास के क्षैत्र में दहशत व आतंक फैला हुआ है तथा अपीलार्थी के स्वच्छन्द विचरण करने से समाज के कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक संकट में पड़ सकते है तथा सामाजिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पडने के दृष्टिगत अपीलार्थी का जिला भीलवाड़ा में स्वच्छन्द विचरण करना व निवास करना कतई उचित नहीं होने के कारण जिला भीलवाडा से निष्कासन का निर्णय लिया है। इस प्रकार आदतन अपराधियों को गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने, आस–पास के क्षैत्र में दहशत व आतंक फैलाने के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपीलार्थी को जिला निष्कासित किया जाकर जिला कोटा में प्रवेश होकर अपनी उपस्थिति संबंधित थानाधिकारी को दर्ज कराने के आदेश पारित किये है जो उचित है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–01–2012 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 11–01–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर